

निदेशक,

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०,
खनिज भवन, लखनऊ।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्या 1463 / एम०-एन०जी०टी वाद / 2023

दिनांक ०५ / दिसम्बर, 2023

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-422/2023 अभिषेक शुक्ला बनाम स्टेट आफ उ० प्र० व अन्य में दिनांक 03.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-422/2023 अभिषेक शुक्ला बनाम स्टेट आफ उ०प्र० व अन्य में दिनांक 03.10.2023 को पारित आदेश का संगत प्रभावी अंश निम्नवत् है:-

....." 2. In view of the averments in the application and observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttarakhand through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, State of Uttar Pradesh, (3) Director, Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh, (4) Director General of Mines Safety, Directorate General of Mines Safety, Ministry of Labour and Employment, Dhanbad, Jharkhand (5) State PCB, (6) District Magistrate, Banda, (7) Safdar Ali S/o Late Shri Farzand Ali, Gata No.- 2450, Khand No.- 03, at Village- Jarar, (8) Mumtaj Ali S/o Late Farzand Ali, Gata No.- 2450, Khand No.- 05, Village-Jarar, (9) Eureka Mines And Minerals Llp, Gata No. 2451, Khand No. 01; Village-Jarar, (10) Athary Construction company (Shri Shrawan Kumar Singh S/o Shri Vishnupal Singh), Gata No.-2451. Khand No.-02, at Village- Jarar, (11) Shivarpan Trading Company, Gata No. 2450, Khand No. 06, Village- Jarar, (12) Jasmit Kaur Malhotra, Gata no - 1876, Khand no- 5, Village- Girwan, (13) Sangram Singh, Gata No. 1876, Khand No.- 01, Village- Girwan, (14) Sulabh Saxena Gata No.- 1876 (Khand No.- 02), Village- Girwan, (15) Bajrang Road Lines (Shri Suresh Pratap Singh), Gata No.- 1876, Khand No.- 03, Village- Girawan, (16) Bajrang Road Lines (Shri Suresh Pratap Singh), Gata No.- 1876, Khand No.- 04, Village- Girawan, (17) Bundelkha Nd Rocks, Gata No- 1876, (Khand No.09), Village- Girwan, (18) Bundelkha Nd Rocks, Gata No-1876, (Khand No.07), Village Girwan, (19) Kunwar Vinod Ram, Gata No. 332. Khand No -01, Village Badokhar Khurd, (20) Disha Enterprises, Gata No. 332, Khand No. 02, Village Badokhar Khurd (21) Maa Vindhya wasini Stone Work (Shri Sameer Singh S/o Shri Phool Singh), Gata No.-332, Khand No.- 05, Village- Badokhar Khurd, (22) Deepak Singh S/o Shri Ram Pal Singh, Gata No.-332. Khand No.- 03, Village- Badokhar Khurd, (23) A.H.V.S. IFRA L.L.P. Gata No. 1166, Vill-Jarar, Tahsil- Naraini, Banda, (24) Associated Ventures Gata No. 1172, 1179 and 1180, Vill-Jarar, Naraini, Banda, (25) Peer Baba Granite Gata No. 1798, Vill- Jarar, Naraini, Banda, (26) Neelkanth Granite Gata No. 1382, Vill-Jarar, Naraini, Banda and (27) Indus Stone Crusher Pvt. Ltd. Gata No. 1794, VIII- Jarar, Tahsi INaraini, Banda, who stand impleaded as respondents No. 1 to 27. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application. Respondent no. 5-UPPCB is already appearing before this Tribunal through Counsel. Registry is directed to issue notices to respondents no. 1 to 4 and 6 to 27 requiring them to file their reply/response within two months at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF....

4. *The Director General of Mines Safety, Directorate General of Mines Safety, Ministry of Labour and Employment, Dhanbad, Jharkhand, Director, Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh and the District Magistrate, Banda are also directed to look into the recommendations made by the Joint Committee in its report and take appropriate remedial steps and file action taken report in this regard within one month at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.”*

2. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के उक्त आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बांदा के पत्रांक-970/खनिज-30, बांदा दिनांक 21.11.2023 (संलग्नक-1) द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या सपठित जिलाधिकारी बांदा को प्रेषित निदेशालय का पत्र संख्या-1461/एम0-एन0जी0टी0 वाद/2023 दिनांक 04.12.2023 (संलग्नक-2) अवलोकनीय है।

आख्या सादर प्रेषित।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीया,
05/12/23
(माला श्रीवास्तव)
निदेशक।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बाँदा।

सेवा में,

मा0 रजिस्टार,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रिसिपल बेंच, नई दिल्ली।

पत्रांक : 970 / खनिज-30, बाँदा

विषय :

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-422/2023 अभिषेक शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.10.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

दिनांक : नवम्बर 21, 2023

महोदय,

कृपया उर्पयुक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-422/2023 अभिषेक शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.10.2023 का मुख्य अंश निम्नवत है :-

“2. In view of the averments in the application and observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttarakhand through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, State of Uttar Pradesh, (3) Director, Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh, (4) Director General of Mines Safety, Directorate General of Mines Safety, Ministry of Labour and Employment, Dhanbad, Jharkhand (5) State PCB, (6) District Magistrate, Banda, (7) Safdar Ali S/o Late Shri Farzand Ali, Gata No.-2450, Khand No.- 03, at Village- Jarar, (8) Mumtaj Ali S/o Late Farzand Ali, Gala No.- 2450, Khand No.- 05, Village-Jarar, (9) Eureka Mines And Minerals Llp, Gata No. 2451, Khand No. 01; Village-Jarar, (10) Athary Construction company (Shri Shravan Kumar Singh S/o Shri Vishnupal Singh), Gala No.-2451. Khand No.-02, at Village- Jarar, (11) Shivarpan Trading Company, Gata No. 2450, Khand No. 06, Village- Jarar, (12) Jasmit Kaur Malhotra, Gala no - 1876, Khand no- 5, Village- Girwan, (13) Sangram Singh, Gata No. 1876, Khand No.- 01, Village- Girwan, (14) Sulabh Saxena Gata No.- 1876 (Khand No.- 02), Village- Girwan, (15) Bajrang Road Lines (Shri Suresh Pratap Singh), Gata No.- 1876, Khand No.- 03, Village- Girawan, (16) Bajrang Road Lines (Shri Suresh Pratap Singh), Gata No.- 1876, Khand No.- 04, Village- Girawan, (17) Bundelkha Nd Rocks, Gala No- 1876, (Khand No.09), Village- Girwan, (18) Bundelkha Nd Rocks, Gala No-1876, (Khand No.07), Village Girwan, (19) Kunwar Vinod Ram, Gata No. 332. Khand No -01, Village Badokhar Khurd, (20) Disha Enterprises, Gata No. 332, Khand No. 02, Village Badokhar Khurd (21) Maa Vindhyawasini Stone Work (Shri Sameer Singh S/o Shri Phool Singh), Gata No.-332, Khand No.- 05, Village- Badokhar Khurd, (22) Deepak Singh S/o Shri Ram Pal Singh, Gata No.-332. Khand No.- 03, Village- Badokhar Khurd, (23) A.H.V.S. IFRA L.L.P. Gata No. 1166, Vill-Jarar, Tahsil- Naraini, Banda, (24) Associated Ventures Gata No. 1172, 1179 and 1180, Vill-Jarar, Naraini, Banda, (25) Peer Baba Granite Gata No. 1798, Vill- Jarar, Naraini, Banda, (26) Neelkanth Granite Gata No. 1382, Vill-Jarar, Naraini, Banda and (27) Indus Stone Crusher Pvt Ltd. Gata No. 1794, VIII- Jarar, Tahsi INaraini, Banda, who stand impleaded as respondents No. 1 to 27. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application. Respondent no. 5-UPPCB is already appearing before this Tribunal through Counsel. Registry is directed to issue notices to respondents no. 1 to 4 and 6 to 27 requiring them to file their reply/response within two months at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

3. Notices be served on respondents n. 6 to 27 through the District Magistrate, Banda and for this purpose notices issued to respondents n. 6 to 27 be sent to the District Magistrate, Banda by E-mail for getting service of the same effected on them and sending his report in this regard.

4. The Director General of Mines Safety, Directorate General of Mines Safety, Ministry of Labour and Employment, Dhanbad, Jharkhand, Director, Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh

and the District Magistrate, Banda are also directed to look into the recommendations made by the Joint Committee in its report and take appropriate remedial steps and file action taken report in this regard within one month at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.

5. List for further consideration on 24.11.2023.

6. A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same, be forwarded to the Director General of Mines Safety, Directorate General of Mines Safety, Ministry of Labour and Employment, Dhanbad, Jharkhand, Director, Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh and the District Magistrate, Banda by e-mail for requisite compliance."

मा० न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेश के बिन्दु संख्या-4 के अनुपालन में संयुक्त जॉच कमेटी की निरीक्षण आख्या में दिये गये रिकमन्डेशन पर कार्यवाही किये जाने हेतु कार्यालय के पत्र सं०-691/खनिज-30, बाँदा दिनांक 19.10.2023 (संलग्नक-01) कमेटी का गठन किया गया। उक्त के क्रम में गठित कमेटी द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या दिनांक 17.11.2023 (संलग्नक-02) प्रस्तुत की गयी।

अतः कमेटी द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या समस्त संलग्नको सहित संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय



जिलाधिकारी
बाँदा।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।

जिलाधिकारी
बाँदा।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-422/2023 अभिषेक शुक्ला बनाम स्टेट आफ उ०प्र० व अन्य में दिनांक 03.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन सम्बन्धी अनुपालन आख्या।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-422/2023 अभिषेक शुक्ला बनाम स्टेट आफ उ०प्र० व अन्य में दिनांक 03.10.2023 को पारित आदेश के अंश निम्नवत् है:-

- 2. *In view of the averments in the application and observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttarakhand through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, State of Uttar Pradesh, (3) Director, Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh, (4) Director General of Mines Safety, Directorate General of Mines Safety, Ministry of Labour and Employment, Dhanbad, Jharkhand (5) State PCB, (6) District Magistrate, Banda, (7) Safdar Ali S/o Late Shri Farzand Ali, Gata No.-2450, Khand No.- 03, at Village- Jarar, (8) Mumtaj Ali S/o Late Farzand Ali, Gala No.- 2450, Khand No.- 05, Village-Jarar, (9) Eureka Mines And Minerals Llp, Gata No. 2451, Khand No. 01; Village-Jarar, (10) Athary Construction company (Shri Shravan Kumar Singh S/o Shri Vishnupal Singh), Gala No.-2451, Khand No.-02, at Village- Jarar, (11) Shivarpan Trading Company, Gata No. 2450, Khand No. 06, Village- Jarar, (12) Jasmit Kaur Malhotra, Gala no - 1876, Khand no- 5, Village- Girwan, (13) Sangram Singh, Gata No. 1876, Khand No.- 01, Village- Girwan, (14) Sulabh Saxena Gata No.- 1876 (Khand No.- 02), Village- Girwan, (15) Bajrang Road Lines (Shri Suresh Pratap Singh), Gata No.- 1876, Khand No.- 03, Village- Girawan, (16) Bajrang Road Lines (Shri Suresh Pratap Singh), Gata No.- 1876, Khand No.- 04, Village- Girawan, (17) Bundelkha Nd Rocks, Gala No- 1876, (Khand No.09), Village- Girwan, (18) Bundelkha Nd Rocks, Gala No-1876, (Khand No.07), Village Girwan, (19) Kumwar Vinod Ram, Gata No. 332, Khand No -01, Village Badokhar Khurd, (20) Disha Enterprises, Gata No. 332, Khand No. 02, Village Badokhar Khurd (21) Maa Vindhya wasini Stone Work (Shri Sameer Singh S/o Shri Phool Singh), Gata No.-332, Khand No.- 05, Village- Badokhar Khurd, (22) Deepak Singh S/o Shri Ram Pal Singh, Gata No.-332, Khand No.- 03, Village- Badokhar Khurd, (23) A.H.V.S. IFRA L.L.P. Gata No. 1166, Vill-Jarar, Tahsil- Naraini, Banda, (24) Associated Ventures Gata No. 1172, 1179 and 1180, Vill-Jarar, Naraini, Banda, (25) Peer Baba Granite Gata No. 1798, Vill-Jarar, Naraini, Banda, (26) Neelkanth Granite Gata No. 1382, Vill-Jarar, Naraini, Banda and (27) Indus Stone Crusher Pvt. Ltd. Gata No, 1794, VIII- Jarar, Tahsi INaraini, Banda, who stand impleaded as respondents No. 1 to 27. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application. Respondent no. 5-UPPCB is already appearing before this Tribunal through Counsel. Registry is directed to issue notices to respondents no. 1 to 4 and 6 to 27 requiring them to file their reply/response within two months at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.*
3. *Notices be served on respondents n. 6 to 27 through the District Magistrate, Banda and for this purpose notices issued to respondents n. 6 to 27 be sent to the District Magistrate, Banda by E-mail for getting service of the same effected on them and sending his report in this regard.*



4. *The Director General of Mines Safety, Directorate General of Mines Safety, Ministry of Labour and Employment, Dhanbad, Jharkhand, Director, Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh and the District Magistrate, Banda are also directed to look into the recommendations made by the Joint Committee in its report and take appropriate remedial steps and file action taken report in this regard within one month at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.*

5. *List for further consideration on 24.11.2023.*

6. *A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same, be forwarded to the Director General of Mines Safety, Directorate General of Mines Safety, Ministry of Labour and Employment, Dhanbad, Jharkhand, Director, Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh and the District Magistrate, Banda by e-mail for requisite compliance."*

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिनांक 03.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है:-

- माननीय एन0जी0टी0 के आदेश के बिन्दु संख्या-3 के अनुपालन में क्रमांक 01 से 04 एवं 06 से 27 पर अंकित खनन पट्टा धारक/स्टोन कशर इकाई धारक को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिनांक 03.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में निर्धारित समयावधि में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र कार्यालय जिलाधिकारी, बॉदा (खनिज अनुभाग) के पत्रांक 691/खनिज-30, बॉदा दिनांक 19.10.2023 द्वारा प्रेषित किया गया है। पत्र की छायाप्रति संलग्न है।
- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिनांक 03.10.2023 को पारित आदेश के बिन्दु संख्या-4 के अनुपालन में संयुक्त जॉच कमेटी की निरीक्षण आख्या में दिये गये रिकमन्डेशन पर कार्यवाही किये जाने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, बॉदा (खनिज अनुभाग) के पत्रांक 690/खनिज-30, बॉदा दिनांक 19.10.2023 द्वारा निम्नलिखित सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया:-

- उपजिलाधिकारी नरैनी।
- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा।
- अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड- 2, बॉदा।
- खान अधिकारी/ खान निरीक्षक, बॉदा।

- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिनांक 03.10.2023 को पारित आदेश अनुपालनार्थ माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिनांक 01.08.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में माननीय एन0जी0टी0 में दाखिल संयुक्त जॉच कमेटी की निरीक्षण आख्या में दिये गये रिकमन्डेशन के क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी, बॉदा (खनिज अनुभाग) के पत्रांक 690/खनिज-30, बॉदा दिनांक 19.10.2023 द्वारा गठित कमेटी द्वारा खनन स्थल का निरीक्षण दिनांक 17.11.2023 को किया गया।

- 4- माननीय एन0जी0टी0 में दाखिल संयुक्त जॉच कमेटी की निरीक्षण आख्या में दिये गये रिकमन्डेशन के कम में बिन्दुवार कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है:-

कम सं0	संयुक्त जॉच कमेटी की निरीक्षण आख्या में दिये गये रिकमन्डेशन	अनुपालनार्थ कार्यवाही का विवरण
21.1	The mining department can be asked to restrict the mining activities in those mines wherein the required minimum distance criteria are not meeting. If mining is allowed on allotted near vicinity of habitant, habitant will be relocated to other specific place with consultation of nearby villagers/ civil society.	<p>1. ग्राम-जरर, तहसील-नरैनी, जनपद-बोंदा स्थित पहाड़ी पर कुल 5 खनन पट्टों को खनन विभाग द्वारा माइनिंग लीस आवंटित की गयी है, जिसमें ग्राम-जरर की मुख्य आबादी मैसर्स सफदर अली पुत्र स्व0 श्री फरजन्द अली, गाटा नं0-2450, खण्ड नं0-03 ग्राम-जरर, जनपद-बोंदा से 135 मी0 की दूरी पर स्थित है परन्तु खनन पट्टे के समीप 05 कच्चे मकान निर्मित पाये गये, जिसे नियमानुसार विस्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। शेष अन्य 4 खनन पट्टों से मुख्य आबादी 50 मी0 से अधिक दूरी पर स्थित है।</p> <p>2. ग्राम-गिरवाँ, तहसील-नरैनी, जनपद-बोंदा स्थित पहाड़ी पर कुल 7 खनन पट्टों को खनन विभाग द्वारा माइनिंग लीस आवंटित की गयी है, जिसमें ग्राम-गिरवाँ की आबादी मैसर्स संग्राम सिंह, गाटा नं0-1876, खण्ड नं0-01 ग्राम-गिरवाँ, जनपद-बोंदा से 36 मी0 की दूरी पर स्थित है। मैसर्स बजरंग रोड लाइन(सुरेन्द्र प्रताप सिंह), गाटा नं0- 1876, खण्ड नं0- 03 ग्राम- गिरवाँ, जनपद- बोंदा से 15 मी0 की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में आबादी अधिक होने के दृष्टिगत आबादी को विस्थापित कराये जाने की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में शासन/निदेशालय से दिशा-निर्देश प्राप्त कर खनिज नियमावली में अनुमन्य आबादी की दूरी तक खनन पट्टे का क्षेत्रफल कम किये जाने की कार्यवाही किया जाना नियमानुसार उचित प्रतीत होता है। शेष अन्य 5 खनन पट्टों से मुख्य आबादी 50 मी0 से अधिक दूरी पर स्थित है।</p> <p>3. ग्राम- बडोखर खुर्द, तहसील- नरैनी, जनपद- बोंदा स्थित पहाड़ी पर कुल 4 खनन पट्टों को खनन विभाग द्वारा माइनिंग लीस आवंटित की गयी है। सभी खनन पट्टे खनिज नियमावली में अनुमन्य आबादी की दूरी से अधिक दूरी पर स्थित है।</p>





21.2	<p>The mining department can be asked to restrict the mining activities in part of hill where temple is located. If mining is permitted at this place, the temple and habitant will be relocated to other specific place with consultation of nearby villagers/ civil society/priest of temple.</p>	<p>1. ग्राम- जरर, तहसील- नरैनी, जनपद- बौदा स्थित पहाड़ी पर कुल 5 खनन पट्टों को खनन विभाग द्वारा माइनिंग लीस आवंटित की गयी है।</p> <p>ग्राम- जरर की पहाड़ी पर स्थित मंदिर से निकटतम खनन पट्टा मैसर्स सफदर अली पुत्र स्व० श्री फरजन्द अली, गाटा नं०- 2450, खण्ड नं०- 03 ग्राम- जरर, जनपद- बौदा से 235 मी० की दूरी पर स्थित है। शेष अन्य 4 खनन पट्टे मंदिर से 340 मी० से अधिक की दूरी पर स्थित है।</p> <p>उपरोक्त सभी पट्टे मानक के अनुसार है परन्तु ग्रामीण आस्था को देखते हुये मंदिर परिसर के आस-पास कोई नया खनन पट्टा दिया जाना उचित नहीं है।</p> <p>2. ग्राम- गिरवां, तहसील- नरैनी, जनपद- बौदा स्थित पहाड़ी पर कुल 7 खनन पट्टों को खनन विभाग द्वारा माइनिंग लीस आवंटित की गयी है।</p> <p>ग्राम- गिरवां की पहाड़ी पर स्थित मंदिर से निकटतम खनन पट्टा मैसर्स संग्राम सिंह, गाटा नं०- 1876, खण्ड नं०- 01 ग्राम- गिरवां, जनपद- बौदा से 85 मी० की दूरी पर स्थित है। शेष अन्य 6 खनन पट्टे मंदिर से 100 मी० से अधिक की दूरी पर स्थित है।</p> <p>उपरोक्त सभी पट्टे मानक के अनुसार है परन्तु ग्रामीण आस्था को देखते हुये मंदिर परिसर के आस-पास कोई नया खनन पट्टा दिया जाना उचित नहीं है।</p> <p>3. ग्राम- बडोखर खुर्द, तहसील- नरैनी, जनपद- बौदा स्थित पहाड़ी पर कुल 4 खनन पट्टों को खनन विभाग द्वारा माइनिंग लीस आवंटित की गयी है।</p> <p>ग्राम- बडोखर खुर्द की पहाड़ी पर स्थित मंदिर से निकटतम खनन पट्टा मैसर्स कुंवर विनोद राजा, गाटा नं०- 332, खण्ड नं०- 01 ग्राम- बडोखर खुर्द, जनपद- बौदा से 100 मी० की दूरी पर स्थित है। शेष अन्य 6 खनन पट्टे भी मंदिर से 100 मी० से अधिक की दूरी पर स्थित है।</p> <p>उपरोक्त सभी पट्टे मानक के अनुसार है परन्तु ग्रामीण आस्था को देखते हुये मंदिर परिसर के आस-पास कोई नया खनन पट्टा दिया जाना उचित नहीं है।</p>
------	---	---

Handwritten signature and number 4

Handwritten signature




21.3	The mining department can be asked to restrict the mining activities through blasting in those mines who have not taken permission by DGMS for use the blasting and mechanical instrument/machine.	डारक्टर जनरल माइन्स ऑफ सेफ्टी, डारक्टर जनरल ऑफ माइन्स सेफ्टी, मिनिट्री ऑफ लेवर एण्ड इमप्लायमेंट, धनवाद, झारखण्ड से ब्लास्टिंग सम्बन्धी लाइसेन्स प्राप्त कर ब्लास्टिंग द्वारा खनन कार्य किये जाने हेतु नोटिस खनन विभाग बॉदा के पत्रांक-820 दिनांक 02.11.2023 समस्त पट्टा धारक को प्रेषित किया गया है।
21.4	The mining department can be asked to provision made for construction the main village road by DMF fund.	ग्राम- जरर स्थित लिंक रोड का निर्माण डी0एम0एफ0 फण्ड से कराये जाने हेतु मार्ग का सर्वेक्षण जांच की तिथि को समिति द्वारा किया गया एवं उसे बनाने हेतु प्रस्ताव तैयार किये जाने की कार्यवाही अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड- 2, बॉदा द्वारा किया जाना प्रक्रियाधीन है।
21.5	UPPCB can be asked to take necessary action against the stone crusher who have not operated the dust suppression system during the operation of stone crusher.	ग्राम- जरर, तहसील- नरैनी, जनपद- बॉदा में कुल 04 स्टोन कशर इकाई (मैसर्स ए0एस0बी0एस इन्फ्रा एल0एल0पी0 गाटा नं0 1066, ग्राम- जरर, मैसर्स एस0सिएट वेन्चर्स गाटा नं0 1172, 1179, 1180, ग्राम- जरर, मैसर्स पीर बाबा ग्रेनाइट गाटा नं0 1798, ग्राम- जरर एवं मैसर्स नीलकंठ ग्रेनाइट गाटा नं0 1382, ग्राम- जरर) संचालित है, जिनके द्वारा इकाई के स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सहमति (जल एवं वायु) प्राप्त किया गया है। स्टोन कशर इकाईयों में संचालन के दौरान उड़ने वाली प्रक्रिया जनित डस्ट की रोकथाम हेतु जॉ कशर, कोन एवं मैन कन्वेयर पर वाटर स्प्रेयिंग फैसिलिटी की व्यवस्था स्थापित है। वाइब्रेटिंग स्क्रीन एवं कन्वेयर को कवर किया गया है। मेटलशीट की बाउन्ड्री वाल स्थापित की गयी है। डस्ट सप्रेसन हेतु स्थापित पानी छिडकाव की व्यवस्था कार्यरत पायी गयी। मैसर्स इण्डस स्टोन कशर प्राईवेट लिमिटेड गाटा नं0 1794, ग्राम- जरर, तहसील- नरैनी, जनपद- बॉदा स्टोन कशर निर्माणाधीन है, जिसके द्वारा इकाई के स्थापनार्थ उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। इकाई को डस्ट सप्रेसन व्यवस्था का नियमित संचालन किये जाने तथा सहमति आदेश में अंकित शर्तों का अनुपालन किये जाने हेतु, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्र क्रमशः दिनांक 23.08.2023 एवं दिनांक 14.11.2023 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया है।







21.6	The project proponent can be asked to maintain the village road near these mining sites.	खनन स्थल के समीप के रोड को मैनटेन किये जाने हेतु खनन विभाग बॉदा के पत्रांक-834 दिनांक 03.11.2023 द्वारा पत्र समस्त पट्टा धारक को प्रेषित किया गया है।
21.7	The project proponent can be asked for blasting will be done in allowed time duration with one-inch holes and proper safety arrangement after obtaining the valid permission of the DGMS and Department of Mines.	डायरेक्टर जनरल माइन्स ऑफ सेप्टी, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन्स सेप्टी, मिनिट्री ऑफ लेबर एण्ड इम्प्लायमेंट, धनवाद, झारखण्ड द्वारा जारी परमीशन के अनुसार खनन हेतु ब्लास्टिंग का कार्य किये जाने तथा ब्लास्टिंग का कार्य निर्धारित समयवधि में किये जाने हेतु खनन विभाग बॉदा के पत्रांक-820 दिनांक 02.11.2023 द्वारा पत्र समस्त पट्टा धारक को प्रेषित किया गया है।
21.8	The project proponent of mining lease and stone crusher can be asked to strictly comply with the conditions prescribed in the Environmental Clearance/ consent/ mining lease allotment letter and submit the status to the concerned authorities regularly.	डस्ट संप्रेषण व्यवस्था का नियमित संचालन किये जाने तथा सहमति आदेश में अंकित शर्तों का अनुपालन किये जाने हेतु, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा के पत्र क्रमशः दिनांक 23.08.2023 एवं दिनांक 14.11.2023 द्वारा ग्राम- जरर स्थित समस्त 04 नग संचालित स्टोन क़शर इकाई को नोटिस प्रेषित किया गया है। राज्य स्तरीय पर्यावरणीय संचात निर्धारण प्राधिकरण, उ०प्र०, द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तथा उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अंकित शर्तों का अनुपालन किये जाने हेतु, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा के पत्र दिनांक 14.11.2023 द्वारा ग्राम- जरर, गिरवाँ एवं बडोखर खुर्द स्थित समस्त खनन पट्टा धारक को नोटिस प्रेषित किया गया है।

अधिकारी का नाम व पद नाम	हस्ताक्षर
उपजिलाधिकारी, तहसील-नरैनी, जनपद- बॉदा	
खान अधिकारी, बॉदा	
अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड- 2, बॉदा।	
क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा।	



216

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 820 /खनिज-30, बाँदा

दिनांक : नवम्बर 22, 2023

समस्त खनन पट्टाधारक (गिट्टी/पत्थर),
जनपद-बाँदा।

कृपया अवगत कराना है कि आप लोगो के पक्ष में जनपद के अन्तर्गत गिट्टी/पत्थर के खनन पट्टे स्वीकृत है। उक्त स्वीकृत खनन पट्टो के सम्बन्ध में समस्त खनन पट्टाधारको को निर्देशित किया जाता है कि खान सुरक्षा निदेशालय, वाराणसी क्षेत्र वाराणसी से ब्लास्टिंग सम्बन्धी अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही नियमानुसार निर्धारित समय अवधि में ब्लास्टिंग करें, साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि तत्काल ब्लास्टिंग सम्बन्धी अनुमति प्रपत्र कार्यालय में उपलब्ध कराये।


खान अधिकारी
बाँदा।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी बाँदा।
3. खान सुरक्षा निदेशालय, वाराणसी क्षेत्र वाराणसी।


खान अधिकारी
बाँदा।

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 834 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : नवम्बर 03, 2023

समस्त खनन पट्टाधारक (गिट्टी/पत्थर),
जनपद-बाँदा।


कृपया अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-422/2023 अभिषेक शुक्ला बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य में दिनांक 03.10.2023 द्वारा एन0जी0टी0 में दाखिल संयुक्त जॉच कमेटी की निरीक्षण आख्या में दिये गये रिकमन्डेशन में कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं। कमेटी के रिकमन्डेशन बिन्दु सं0-21.6 निम्नवत है :-

“The project proponent can be asked to maintain the village road near these mining sites.”

अतः उक्त रिकमन्डेशन के क्रम में आप लोगो को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये खनन स्थल के समीप के रोड को व्यवस्थित करना सुनिश्चित करें।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी महोदया, बाँदा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


खान अधिकारी
बाँदा।


खान अधिकारी
बाँदा।

218
कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 690 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : अक्टूबर 19, 2023

“आदेश”

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-422/2023 अभियेक शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2023 के कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

“4. The Director General of Mines Safety, Directorate General of Mines Safety, Ministry of Labour and Employment, Dhanbad, Jharkhand, Director, Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh and the District Magistrate, Banda are also directed to look into the recommendations made by the Joint Committee in its report and take appropriate remedial steps and file action taken report in this regard within one month at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.

5. List for further consideration on 24.11.2023.

6. A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same, be forwarded to the Director General of Mines Safety, Directorate General of Mines Safety, Ministry of Labour and Employment, Dhanbad, Jharkhand, Director, Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh and the District Magistrate, Banda by e-mail for requisite compliance.”

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के क्रम में अवगत कराना है कि गठित कमेटी द्वारा Recommendations दिनांक 30.08.2023 निम्नवत प्रस्तुत की गयी है :-

“21. Finding and recommendations :

- 21.1) The mining department can be asked to restrict the mining activities in those mines wherein the required minimum distance criteria are not meeting. If mining is allowed on allotted near vicinity of habitant, habitant will be relocated to other specific place with consultation of nearby villagers/ civil society.
- 21.2) The mining department can be asked to restrict the mining activities in part of hill where temple is located. If mining is permitted at this place, the temple and habitant will be relocated to other specific place with consultation of nearby villagers/ civil society/priest of temple.
- 21.3) The mining department can be asked to restrict the mining activities through blasting in those mines who have not taken permission by DGMS for use the blasting and mechanical instrument/machine.
- 21.4) The mining department can be asked to provision made for construction themain village road by DMF fund.
- 21.5) UPPCB can be asked to take necessary action against the stone crusher who have not operated the dust suppression system during the operation of stone crusher.
- 21.6) The project proponent can be asked to maintain the village road near these mining sites.
- 21.7) The project proponent can be asked for blasting will be done in allowed time duration with one-inch holes and proper safety arrangement after obtaining the valid permission of the DGMS and Department of Mines.
- 21.8) The project proponent of mining lease and stone crusher can be asked to strictly comply with the conditions prescribed in the Environmental Clearance/ consent/ mining lease allotment letter and submit the status to the concerned authorities regularly.”


कमेटी के उपरोक्त Recommendations के क्रम में नियमानुसार खनन पट्टा क्षेत्रों में अग्रतर कार्यवाही किये जाने हेतु निम्नवत कमेटी का गठन किया जाता है :-

1. उपजिलाधिकारी, नरैनी।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बाँदा।
3. अधिशाषी अभियन्ता, लो0नि0वि0, प्रान्तीय खण्ड-2, बाँदा।
4. खान अधिकारी/खान निरीक्षक, बाँदा।

(2)

अतः उपरोक्त गठित समिति को निर्देशित किया जाता है कि मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में कमेटी द्वारा दिये गये Recommendations के अनुसार अग्रिम कार्यवाही कराते हुये आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे मा० न्यायाधिकरण को वस्तुस्थिति से ससमय अवगत कराया जा सके।


संलग्नक : यथोक्त।


जिलाधिकारी
१९ बाँदा।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
2. गठित समिति को अनुपालनार्थ प्रेषित।


जिलाधिकारी
१९ बाँदा।

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 691 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : अक्टूबर 19, 2023

खनन पट्टाधारक/स्टोन क्रेशर धारक,

1. श्री सफदर अली (जरर, गाटा सं०-2450 खण्ड-3), 2. श्री मुमताज अली (जरर, गाटा सं०-2450 खण्ड-5),
3. मे० यूरेका माइन्स एण्ड मिनरल्स एल०एल०पी० पार्टनर श्री चन्द्रशेखर चौरसिया (जरर, गाटा सं०-2451 खण्ड-1), 4. मेसर्स अथर्व कांस्ट्रक्शन कम्पनी प्रो० श्री श्रवण कुमार सिंह (जरर, गाटा सं०-2451 खण्ड-2),
5. मेसर्स शिर्वापन ट्रेडिंग कम्पनी प्रो० श्री लवलेश सिंह (जरर, गाटा सं०-2450 खण्ड-8), 6. श्रीमती जसमीत कौर मल्होत्रा (गिरवां, गाटा सं०-1876 खण्ड-5), 7. श्री संग्राम सिंह (गिरवां, गाटा सं०-1876 खण्ड-1),
8. मे० सुलभ सक्सेना पहाड़ी पट्टेदार प्रो० श्री सुलभ सक्सेना (गिरवां, गाटा सं०-1876 खण्ड-2),
9. श्री बजरंग रोड लाइन्स पार्टनर श्री सुरेश प्रताप सिंह (गिरवां, गाटा सं०-1876 खण्ड-3), 10. श्री बजरंग रोड लाइन्स पार्टनर श्री सुरेश प्रताप सिंह (गिरवां, गाटा सं०-1876 खण्ड-4), 11. मेसर्स बुन्देलखण्ड रॉक्स प्रो० श्रीमती दीपाली सिंह (गिरवां, गाटा सं०-1876 खण्ड-9) 12. मेसर्स बुन्देलखण्ड रॉक्स प्रो० श्रीमती दीपाली सिंह (गिरवां, गाटा सं०-1876 खण्ड-7), 13. श्री कुँवर विनोद राजा (बड़ोखरखुर्द, गाटा सं०-332 खण्ड-1),
14. मे० दिशा इन्टर प्राइजेज प्रो० श्रीमती सुधा सिंह (बड़ोखरखुर्द, गाटा सं०-332 खण्ड-2),
15. मे० मां विंध्यवासिनी स्टोन वर्क्स प्रो० श्री समीर सिंह (बड़ोखरखुर्द, गाटा सं०-332 खण्ड-5),
16. श्री दीपक सिंह (बड़ोखरखुर्द, गाटा सं०-332 खण्ड-3), 17. AHVS INFRA LLP पार्टनर श्री अनुज जैन (जरर, गाटा सं०-116), 18. एसोसिएटेड बेन्चर्स पार्टनर श्री अतीक अहमद (जरर, गाटा सं०-1172, 1179, 1180), 19. मेसर्स पीर बाबा ग्रेनाइट पार्टनर श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता (जरर, गाटा सं०-1798), 20. नीलकण्ठ ग्रेनाइट पार्टनर श्री प्रदीप सिंह सेंगर (जरर, गाटा सं०-1382), 21. Indus Stone Crusher Pvt. Ltd. (जरर, गाटा सं०-1794), जनपद बाँदा।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं०-422/2023 अभिषेक शुक्ला बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2023 के कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

"1. In compliance of order dated 01.08.2023, report of the Joint Committee has been filed vide email dated 08.09.2023.

2. In view of the averments in the application and observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttarakhand through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, State of Uttar Pradesh, (3) Director, Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh, (4) Director General of Mines Safety, Directorate General of Mines Safety, Ministry of Labour and Employment, Dhanbad, Jharkhand (5) State PCB, (6) District Magistrate, Banda, (7) Safdar Ali S/o Late Shri Farzand Ali, Gata No.-2450, Khanda No.- 03, at Village- Jarar, (8) Mumtaj Ali S/o Late Farzand Ali, Gala No.- 2450, Khanda No.- 05, Village-Jarar, (9) Eureka Mines And Minerals Llp, Gata No. 2451, Khand No. 01; Village-Jarar, (10) Athary Construction company (Shri Shravan Kumar Singh S/o Shri Vishnupal Singh), Gala No.-2451. Khand No.-02, at Village- Jarar, (11) Shivarpan Trading Company, Gata No. 2450, Khand No. 06, Village- Jarar, (12) Jasmit Kaur Malhotra, Gala no - 1876, Khand no- 5, Village- Girwan, (13) Sangram Singh, Gata No. 1876, Khand No.- 01, Village- Girwan, (14) Sulabh Saxena Gata No.- 1876 (Khanda No.- 02), Village- Girwan, (15) Bajrang Road Lines (Shri Suresh Pratap Singh), Gata No.- 1876, Khand No.- 03, Village- Girawan, (16) Bajrang Road Lines (Shri Suresh Pratap Singh), Gata No.- 1876, Khand No.- 04, Village- Girawan, (17) Bundelkha Nd Rocks, Gala No- 1876, (Khand No.09), Village- Girwan, (18) Bundelkha Nd Rocks, Gala No-1876, (Khand No.07), Village Girwan, (19) Kunwar Vinod Ram, Gata No. 332. Khand No -01, Village Badokhar Khurd, (20) Disha Enterprises, Gata No. 332, Khand No. 02, Village Badokhar Khurd (21) Maa Vindhyawasini Stone Work (Shri Sameer Singh S/o Shri Phool Singh), Gata No.-332, Khanda No.- 05, Village- Badokhar Khurd. (22) Deepak Singh S/o Shri Ram Pal Singh, Gata No.-332. Khand No.- 03, Village- Badokhar Khurd, (23) A.H.V.S. IFRA L.L.P. Gata No. 1166, Vill-Jarar, Tahsil- Naraini, Banda, (24)

Associated Ventures Gata No. 1172, 1179 and 1180, Vill-Jarar, Naraini, Banda, (25) Peer Baba Granite Gata No. 1798, Vill- Jarar, Naraini, Banda, (26) Neelkanth Granite Gata No. 1382, Vill- Jarar, Naraini, Banda and (27) Indus Stone Crusher Pvt. Ltd. Gata No. 1794, VIII- Jarar, Tahsi INaraini, Banda, who stand impleaded as respondents No. 1 to 27. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application. Respondent no. 5-UPPCB is already appearing before this Tribunal through Counsel. Registry is directed to issue notices to respondents no. 1 to 4 and 6 to 27 requiring them to file their reply/response within two months at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

3. Notices be served on respondents n. 6 to 27 through the District Magistrate, Banda and for this purpose notices issued to respondents n. 6 to 27 be sent to the District Magistrate, Banda by E-mail for getting service of the same effected on them and sending his report in this regard.

4. The Director General of Mines Safety, Directorate General of Mines Safety, Ministry of Labour and Employment, Dhanbad, Jharkhand, Director, Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh and the District Magistrate, Banda are also directed to look into the recommendations made by the Joint Committee in its report and take appropriate remedial steps and file action taken report in this regard within one month at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.

5. List for further consideration on 24.11.2023.

6. A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same, be forwarded to the Director General of Mines Safety, Directorate General of Mines Safety, Ministry of Labour and Employment, Dhanbad, Jharkhand, Director, Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh and the District Magistrate, Banda by e-mail for requisite compliance."

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 न्यायाधिकरण के समक्ष निर्धारित अवधि में अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोक्त।


जिलाधिकारी
बाँदा।
१२

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, बाँदा।
3. उपजिलाधिकारी, नरैनी।
4. खान अधिकारी/खान निरीक्षक, बाँदा।


जिलाधिकारी
बाँदा।
१३

hhan
sja
archi

Bar
Ka

1
1)
y-1)
2y-1)
gory
eror
ites

निदेशक,

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०,
खनिज भवन, लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बांदा।

संख्या 1461 / एम०-एन०जी०टी वाद / 2023

दिनांक ०५ दिसम्बर, 2023

विषय:—ओ०ए० संख्या—422 वर्ष 2023 अभिषेक शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक रजिस्ट्रार, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को सम्बोधित तथा शासन व निदेशालय को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या—970/खनिज—30 बांदा दिनांक 21.11.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके साथ ओ०ए० संख्या—422 वर्ष 2023 अभिषेक शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2023 के बिन्दु संख्या—4 के अनुपालन में आपके द्वारा गठित जनपद स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या/कृत कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report) दिनांक 17.11.2023 प्रेषित किया गया है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 01.08.2023 द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या में Finding and Recommendations से सम्बन्धित बिन्दु संख्या—21.1 के क्रम में जनपद स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत उक्त अनुपालन आख्या/कृत कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report) दिनांक 17.11.2023 के बिन्दु संख्या—2 में उल्लेख किया गया है कि:—

“ग्राम—गिरवाँ, तहसील—नरैनी, जनपद—बांदा स्थित पहाड़ी पर कुल 7 खनन पट्टों को खनन विभाग द्वारा माइनिंग लीज आवंटित की गयी है, जिसमें ग्राम—गिरवाँ की आबादी मैसर्स संग्राम सिंह, गाटा नं०—1876, खण्ड नं०—01 ग्राम—गिरवाँ, जनपद—बाँदा से 36 मी० की दूरी पर स्थित है। मैसर्स बजरंग रोड लाइन (सुरेन्द्र प्रताप सिंह), गाटा नं०—1876, खण्ड नं०—03 ग्राम— गिरवाँ, जनपद— बाँदा से 15 मी० की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में आबादी अधिक होने के दृष्टिगत आबादी को विस्थापित कराये जाने की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में शासन/निदेशालय से दिशा—निर्देश प्राप्त कर खनिज नियमावली में अनुमन्य आबादी की दूरी तक खनन पट्टे का क्षेत्रफल कम किये जाने की कार्यवाही किया जाना नियमानुसार उचित प्रतीत होता है। शेष अन्य 5 खनन पट्टों से मुख्य आबादी 50 मी० से अधिक दूरी पर स्थित है।”

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली—2021 के Rule—42(e) में उल्लिखित प्राविधान निम्नवत् हैं:—

“No mining operation shall be carried out on at or to any point within a distance 50 metres from any railway line except with the previous written permission of the Railway Administration concern, or from any reservoir, canal or other public works, such as public roads and buildings or inhabited site except with the previous written permission of the District Officer or any other officer authorised by the State Government in this behalf and otherwise than in accordance with such instructions and conditions either general or special, which may be attached to such permission. The said distance of 50 metres shall be

223

measured in case of railway, reservoir, canal or road horizontally from the outer toe of the bank or the outer edge of the cutting, as the case may be, and in case of a building horizontally from plinth thereof.

Provided that the distance in the case of a village road shall be 10 metres from the outer edge of the cutting.”

अतः उपरोक्त प्रकरण में नियमावली-2021 के उक्त Rule-42(e) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,
04/12/23
(माला श्रीवास्तव)
निदेशक। OIC
Amrit

संख्या 1461 / एम0-एन0जी0टी0 वाद / 2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

04/12/23
(माला श्रीवास्तव)
निदेशक। OIC
Amrit